(3)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 28/2017
भुटक राम - बनाम - दिलचन्द राउत वगैरह
धारा 144 द०प्र०सं० के तहत

आदेश फलक

18.7.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत विवादित भूमि गावाँ थाना अन्तर्गत मौजा - खोरमनाथ खाता नं० 03 प्लॉट नं० 87/1 रकबा 25 डी० चौहद्दी :- उ० - सड़क द० - शिवनारायण सिंह, पु० - नीज (आवेदक) प० - रास्ता।

उक्त भूमि के संबंध में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उसे, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा प्राप्त है, जिसके आधार पर प्रथम पक्ष दावेदार है। उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष भूमि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को बिहार सरकार के द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त है जिसके संदर्भ में उनके द्वारा दस्तावेज की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी गावाँ, बन्दोबस्ती की जाँच कर साक्ष्य पाये जाने पर दखल संबंधी कार्यवाही करें।

इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० लिपिक

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner